प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 03 अगस्त, 2023*

विषयः- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बेलाल उर्फ अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल सत्तार निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-11850/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/आ0प्रस्त0/2023, दिनांक-11-04-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बेलाल उर्फ अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल सत्तार, जो ग्राम-नेवारी, थाना-लालगंज, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 30-08-2007 को कट्टे से गोली मारकर सुहेल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-315/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश बस्ती के आदेश दिनांक 19.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से तथा सत्र परीक्षण सं0-200/08 में 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष 07 माह 25 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 08 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती द्वारा बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पीड़ित परिवार के भयभीत होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 30-08-2007 को बन्दी ने कट्टे से गोली मारकर सुहेल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया है, इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बेलाल उर्फ अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल सत्तार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बेलाल उर्फ अब्दुल हफीज (बन्दी संख्या-4467/2011) पुत्र श्री अब्दुल सत्तार, निवासी जनपद-बस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-475/2023/1020/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-41121/Registrar General(Criminal-A) High Court, Allahabad, Dated 15-07-2023 के संदर्भ में।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
7- नोडल अधिकारी/वरिठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल अपील सं0-4047/2011 बेलाल उर्फ अब्दुल हफीज बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-475/2023/1020/22-2-2023-17(1691)/2022

दिनांक 03 अगस्त, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बेलाल उर्फ अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल सत्तार, जो ग्राम-नेवारी, थाना-लालगंज, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 30-08-2007 को कट्टे से गोली मारकर सुहेल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-315/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश बस्ती के आदेश दिनांक 19.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से तथा सत्र परीक्षण सं0-200/08 में 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष 07 माह 25 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 08 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती द्वारा बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पीडित परिवार के भयभीत होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 30-08-2007 को बन्दी ने कट्टे से गोली मारकर सुहेल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया है, इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बेलाल उर्फ अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल सत्तार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।